

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं० 343 / 2025

सहदेव पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

विजयलक्ष्मी पत्नी सहदेव जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

राजबाला उर्फ नीना सिंह पुत्री पृथ्वीराज पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बशीर हाल

सिरसा तहसील व जिला सिरसा।

प्रतिवादीया


डिक्री

दिनांक 17/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 12 एफटीपी ए के खाता सं० 79/93 में कुल 6.578 है० कृषि भूमि के वादीगण बहि०ब० खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चकनं० 12 एफटीपी ए के खाता सं० 79/93 में से प्रतिवादीया राजबाला का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।